परियोजना का नामः— जोशीमठ स्रोत संवर्द्धन (दीर्घकालीन) पे०यो०

प्रस्तावित परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश

परियोजना का नामः— जोशीमठ स्रोत संवर्द्धन (दीर्घकालीन) पे०यो०

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना से प्रभावित होने वाले वृक्षों की दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण करने हेतु आवश्यक धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा करा दी जायेगी।

सहायक अभियन्ता
निर्माण शाखा
उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन
विकास एवं निर्माण निगम
गोपेश्वर

ह०/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
Construction Division
Uttarakhand Peyjal Nigam
Gopeshwar Chamoli

कार्यालय 01368-221544
01368-221544 फैक्स 01368-221545
E-mail:- cegpayjal@yaoo.co.in

8
पी-49
845
5-3-16

उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
कार्यालय मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल)

102, क्यूकालेश्वर, कण्डोलिया देवप्रयाग मार्ग, पौड़ी(गढ़वाल)-246001

पत्रांक 408/ प्रा. वि. चमोली दिनांक 26.02.16

कार्यालय ज्ञाप

प्रधान कार्यालय, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम के कार्यालय ज्ञाप संख्या 143/प्र0नि0 कैम्प बोर्ड बैठक/11 दिनांक 01.07.2011 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्यालय ज्ञाप संख्या 942/प्रा0वि0 चमोली दिनांक 06.07.2015 द्वारा कुल ₹1955.04 लाख की तकनीकी स्वीकृत प्रदान की गई थी। योजना की लागत को वित्त पोषण संस्था एन0टी0पी0सी0 द्वारा लागत को और सीमित किये जाने को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय तकनीकी संशोधन उपरान्त निम्नानुसार संशोधित लागत की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	योजना का नाम	अनु0 लागत (₹लाख में)	कार्यक्रम	योजना में सम्मिलित तोकों की संख्या	जनपद/ विकास क्षेत्र
01	02	03	04	05	06
1	जोशीमठ श्रोत संबर्द्वन पेयजल योजना (दीर्घकालीन)	1581.36	डिपोजिट कार्य (एन0टी0पी0सी0)	1 नगर	चमोली/ जोशीमठ

प्रतिबन्ध

1. जिन कार्यो का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आंगणन में नहीं है, उन कार्यो पर न तो कोई व्यय किया जाय एवं नहीं कोई वित्तीय वायदा ही किया जाय।
2. आंगणन में दी गई दरें केवल आंकलन मात्र हेतु हैं। निविदा हेतु वर्तमान बाजार भाव पर लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 की स्वीकृत दरों का विश्लेषण कर नियमानुसार निविदा निस्तारित कर न्यूनतम दरों पर ही कार्य कराये जायें।
3. प्राक्कलन की स्वीकृत सीमा अथवा शासन से अवमुक्त धनराशि जो भी कम हो के अन्तर्गत मदवार व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक- फार्म जे की छाया प्रति।

26/02/16

(आर0के0 जोशी)
मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल)

पृ0संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

1. प्रतिलिपि मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय), उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, गोपेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. प्रतिलिपि कार्यालय संगणक हेतु-रजिस्टर में अंकित करने व प्रति प्राक्कलन में चस्पा हेतु।

मुख्य अभियन्ता(गढ़वाल)